

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर


अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 21/6/2017

क्रमांक एफ-10- ५० /2017/वाक/पांच( 6५ )-छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 21/6/2017

क्रमांक एफ-10- ५० /2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10- ५० /2017/वाक/पांच( 6५ ), दिनांक 21/6/17 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

**Government of Chhattisgarh  
Commercial Tax Department  
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**


**NOTIFICATION**

Naya Raipur, dated : 21/6/2017

No. F-10-40/2017/CT/V ( 64 ) - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby specifies the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of June, 2017.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

  
(A.P. Tripathi)  
Special Secretary